फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती सवली **विपक्षी : श्री ठाकरू**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 77/20**

जीसीएमएस : 2020/00289

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 14.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–73 के खाता संख्या 156 पर दर्ज आराजी नम्बर 1189 रकबा 12 बिस्वा भूमि वर्तमान में प्रार्थीया एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं हैं परन्तु विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.07.2020 से डालु, टेका, नाथीबाई, दुर्गा, कमली से हिस्सा क्रय करना जाहिर होता हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। चूंकि वाद बंटवाडे का होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 मौके पर नया निर्माण कार्य कर लेता है तो इससे प्रार्थीया के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। प्रकरण में पूर्व में विपक्षी संख्या 1 को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया हुआ है जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है जिससे वाद में किसी प्रकार की कोई कानूनी पैचिदगीया उत्पन्न ना हों। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–73 के खाता संख्या 156 पर दर्ज आराजी नम्बर 1189 रकबा 12 बिस्वा भूमि में विपक्षी संख्या 1 मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे। किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:08 IST
Reason: SelfAttested